अभियान से पूर्व तैयार हेतु गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार करने के सम्बन्ध में चाही गई मौका रिपोर्ट दिनांक 27/1/2013 में पटवारी हल्का ने ग्राम आमलोदा दूदी के आराजी खसरा नम्बर 1316/0.19 बंजड़–1 के मौके पर आवंटी अप्रार्थी चेतराम उर्फ धूणीलाल का कब्जा काश्त नहीं होना जाहिर करते हुए मोहनलाल पुत्र सूमला जाति माली सा0 देह का कब्जा काश्त होने से आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत कार्यवाही करने की रिपोर्ट पेश की है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के हक में दर्ज गैर खातेदारी निरस्त फरमाया जावे।

6. हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड व शाहदत का अवलोकन कर मनन किया। यह निर्विवाद स्वीकार्य तथ्य है कि आराजी विवादास्पद का आवंटी/अप्रार्थी के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। परन्तु आवंटी द्वारा उसे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई भूमि पर अपने स्वयं के नियमित रूप से भौतिक कब्जे एवं काश्त करने के कथनों को सिद्ध करवाने में विफल रहा है। बल्कि स्वयं आवंटी/अप्रार्थी ने उपस्थित होकर स्वीकार किया है कि उसको आवंटित की गई उक्त भूमि पर उसका कभी भी मौके पर कब्जा नहीं रहा एवं न ही उसने कभी काश्त की। उसको किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में पटवारी ने आवंटी का कब्जा काश्त शुरू से ही नहीं होने की रिपोर्ट की है, जिससे जाहिर होता है कि आवंटी/अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर उसके स्वयं के द्वारा भौतिक रूप से काबिज रहकर काश्त नहीं की गई, बल्कि अन्य दीगर का कब्जा काश्त होना बताया है। स्वयं आवंटी/अप्रार्थी ने भी इसको स्वीकार किया है। इससे अप्रार्थी को भूमिहीन मानते हुए कृषि प्रयोजन भूमि आवंटन किये जाने का आशय ही समाप्त हो गया। इसलिए अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी गैर खातेदारी निरस्त की जाने योग्य है।

7. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बंजड़–1 वाके ग्राम आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर की अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गैर खातेदारी निरस्त की जाकर उक्त आराजीयात पुनः पूर्ववतः राजकीय सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार लैण्ड होल्डर तहसीलदार, विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वे इसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें तथा मौके पर यदि अन्य किसी व्यक्तियों का कब्जा काश्त हो तो उन्हें तत्काल बेदखल कर भौतिक रूप से कब्जा राज लेकर पालना रिपोर्ट मय रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के साथ अधिकतम एक माह में आवश्यक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करें। तद्नुसार तहसीलदार, विराटनगर को निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ अहकाम जारी हो।

8. निर्णय आज दिनांक 02/05/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट मुकाम विराटनगर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)